हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

दशम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्या : 93

शुक्रवार, 5 दिसम्बर, 2025/14 मार्गशीर्ष, 1947(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. **प्रश्नोत्तरः**

(1) **तारांकित :**

तारांकित प्रश्न संख्याः 2656 (स्थगित) तथा तारांकित प्रश्न संख्याः 3807 व 3808 के उत्तर पर सम्बन्धित सदस्य द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई। अतः कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया।

तारांकित प्रश्न संख्याः 3027 (स्थगित) पर माननीय सदस्य द्वारा अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया।

तारांकित प्रश्न संख्या : 3300 (स्थगित) तथा तारांकित प्रश्न संख्याः 3806, 3809, 3810 व 3811 के उत्तरों पर माननीय सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा मा0 मुख्य मन्त्री/संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए।

तारांकित प्रश्न संख्या : 3812 से लेकर 3833 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(2) **अतारांकित :**

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1538 से 1553 तक के उत्तर सभापटल पर रखे गए।

माननीय राजस्व मंत्री ने प्रश्नकाल के समाप्त होते ही जानना चाहा कि उन्होंने पिछले कल यानी दिनांक 04.12.2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम-75 व 79 के तहत जो विशेषाधिकार हनन की शिकायत नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर के खिलाफ दी गई है, उसमें क्या कार्रवाई की गई है।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि माननीय राजस्व मंत्री द्वारा नियम-75 के अंतर्गत जो शिकायत विधान सभा में दर्ज की गई है उसे विधान सभा सचिव को एग्जामिन करने के लिए दिया गया है और जैसे ही वह मैटर एग्जामिन होगा उसकी सूचना माननीय सदन और माननीय राजस्व मंत्री को उपलब्ध करवा दी जाएगी।

उक्त विषय पर **माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार** ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय माननीय सदन की परम्पराओं व नियमों के अनुरूप इस माननीय सदन का संचालन करते हैं। परन्तु पिछले कई सत्रों में यह देखा गया है कि कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। हम माननीय मुख्य मंत्री का आदर करते हैं क्योंकि वे इस सदन के नेता हैं। दूसरी ओर हमारे विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हैं जोकि इस प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं। पक्ष की ओर से आवाज़ आती है कि किसने इन्हें प्रदेश का मुख्य मंत्री बनाया, इन्हें मुख्य मंत्री बनाने वाले कौन थे और इनके लिए असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया गया। हमारे नेता प्रतिपक्ष छः बार के विधायक रहे हैं और हमारी व्यवस्था के अनुसार प्रदेश की जनता द्वारा बहुमत दिए जाने पर ही वे उस समय मुख्य मंत्री बने थे। लेकिन उनके लिए असंसदीय शब्दों का प्रयोग करना, इस माननीय सदन की परंपराओं के विरुद्ध टिप्पणियां करना तथा ऐसी बातों के माध्यम से सनसनी फैलाना गलत बात है; ऐसे असंसदीय शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाला जाए।

(12.10 बजे अपराह्न सदन की बैठक 10 मिनट के लिए स्थगित की गई।)

(12.45 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

<u>माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था</u>

"इससे पहले कि मैं अगला विषय चर्चा हेतु लूं, अभी माननीय सदन में वैसे तो this was not a 'Point of Order' yet the Hon'ble Member Shri Vipin Singh Parmar Ji has raised an issue regarding the Vidhan Sabha proceedings, Vidhan Sabha record which pertains to yesterday's proceedings as well as day before yesterday's proceedings. मैंने पहले भी सभी माननीय सदस्यों से निवेदन किया था और हर दिन करता हूं कि मुझे सभी का सहयोग चाहिए तभी यह सदन चलेगा। पहले भी मैंने व्यवस्था दी है कि रिकॉर्ड के ऊपर जो भी अनावश्यक और असंसदीय होगा उसे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनने देंगे। अगर फिर भी ऐसा कुछ रिकॉर्ड पर आया है जो अनावश्यक या असंसदीय है तो मैं सारे रिकॉर्ड को चैक करूंगा और उसमें जो भी अनावश्यक है, that is not required with those references and with those discussions तो मैं उन्हें रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाऊंगा।

दूसरे, सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष से मेरा विशेष आग्रह है कि आप सदन के नेता हैं, सदन के संचालन में आपका सहयोग अत्यंत ज़रूरी है। जब भी सदन के नेता बोलें तो सभी सम्मान से सुनें और अगर उनको तथ्यों से विपरीत कोई बात लगती है तो ज़रूर मेरे ध्यान में लाएं। बैठे-बैठे न बोलें, बैठे-बैठे अपोज़ न करें। मैं बड़े खुले मन से सभी को बोलने की इजाज़त देता हूं। जो भी असंसदीय होगा, उस पार्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनने देंगे, उसको उसी वक्त रिकॉर्ड से निकाल देंगे। मैं नेता प्रतिपक्ष से भी यही उम्मीद करता हूं कि जब वे बोलें तो कम-से-कम उनकी तरफ के माननीय सदस्य तो उनको सुनें। वे बोल रहे होते हैं, बीच में अन्य सदस्य भी बोलना शुरू कर देते हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से भी ऐसा ही है। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि जो विषय आपने अभी अपने इंटरवेंशन के माध्यम से, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से मेरे ध्यान में लाया है, मैं सारा रिकॉर्ड देखूंगा और उसमें जितना भी अनडिज़ायरेबल पार्ट है, उसको रिकॉर्ड से निकाल देंगे। "

माननीय राजस्व मंत्री ने श्री विपिन सिंह परमार द्वारा उठाए गए विषय का प्रत्याख्यान करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की खूबी है कि इस माननीय सदन में चाहे पक्ष की तरफ से विचार रखे जाएं या विपक्ष की ओर से रखे जाएं, यहां पर हरेक को अपने तरीके से बात रखने का अधिकार है। संविधान के आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 के माध्यम से हमें सदन के अंदर अपनी बात कहने और अभिव्यक्ति की आजादी मिली है। उस स्वतंत्रता में भी अगर बीच में कहीं सेंसरशिप हो जाए तो फिर आर्टिकल-105 और आर्टिकल-194 के कोई मायने नहीं रहते। अध्यक्ष महोदय, अगर कार्यवाही में कोई असंसदीय या अब्यूसिव शब्द होगा तो उसको आप कार्यवाही से निकाल सकते हैं। वह भी इस माननीय सदन में बड़े लंबे समय से सदस्य रहे हैं और उनके विधान सभा क्षेत्र के लोगों ने उन्हें चुनकर भेजा है। पुराना सारा रिकॉर्ड निकाल लीजिए, कभी भी एक शब्द अब्यूसिव तो छोड़िए, असंसदीय नहीं कहा। यह उनकी आदत ही नहीं है। वे यहां केवल अपनी बात रखते हैं और वह भी तब जब अध्यक्ष महोदय मुझे परमिशन देते हैं।

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने भी अपने उद्‌गार व्यक्त करते हुए कहा कि इस माननीय सदन में 68 सदस्य हैं बाकी सदस्यों के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक ही व्यक्ति के साथ बार-बार दिक्कत क्यों आ रही है, यह आपका और सबके आकलन का विषय है। अध्यक्ष महोदय, अगर रिकॉर्ड में देखें तो इन्होंने कुछ असंसदीय शब्द मेरे लिए इस्तेमाल किए हैं। मेरी पार्टी मुझे मुख्य मंत्री तय करती है और आपकी पार्टी आपको तय करती है। इस सदन में 68 माननीय विधायक हैं। In terms of length के हिसाब से उनका सबसे ज्यादा टेन्योर है और इस सदन के अंदर उनके 28 साल जनवरी, 2026 में पूरे हो जाएंगे। यह छठी टर्म है और यहां बहुत सारे छठी टर्म वाले सदस्य हैं। यह कोई घमंड का विषय नहीं है। यह हमारा अनुभव है और हम सब चुनकर आए हैं। आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा वोट के मार्जिन की बात की जाए तो मुझे ही यह सौभाग्य मिला है और वे हाईएस्ट मार्जिन से जीते हैं। यह उनके लिए गर्व का विषय है। मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो, जनहित में चर्चा हो, यही आवश्यक है। इसलिए यही निवेदन है कि इन सारी बातों पर मिट्टी डाल कर आगे बढ़ें। हमें आगे की सोचनी चाहिए। यही लोकतंत्र की विशेषता है और यही लोकतंत्र की सुन्दरता है।

माननीय मुख्य मंत्री ने भी अपने उद्‌गार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका दिल तो वैसे ही बहुत बड़ा है। जब भी नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिए उठते हैं वे अक्सर बैठ जाते हैं और सत्ता पक्ष के सारे विधायक आपको बोलने के लिए समय देते हैं। आज तक जितनी भी कार्यवाही हुई है उसमें आप देख लीजिएगा कि 80 प्रतिशत समय विपक्ष ने लिया होगा और 20 प्रतिशत समय सत्ता पक्ष को मिला होगा। यह आदमी के स्वभाव में है कि जब वह क्रोधित होता है तो कई बातें बोल दी जाती हैं जो व्यक्तिगत रूप से पिंच होती हैं। यही आपकी और रेवेन्यू मिनिस्टर की तरफ से हुआ है। लेकिन राजस्व मंत्री जी ने कोई गलत बात नहीं कही है। इन्होंने आपकी विचारधारा पर अटैक किया है। इन्होंने व्यक्तिगत अटैक नहीं किया है। कई जगह इनसे गुस्से में शब्द निकल गए जिन्हें आपने एक्सपंज करने के लिए आग्रह किया है और वे शब्द एक्सपंज होने भी चाहिएं। सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि आप डैरोगेटरी शब्दों को एक्सपंज कर दीजिए। मैं चाहूंगा कि जो शब्दावली चाहे नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ बोली गई है, चाहे हमारे आदरणीय नेगी जी के खिलाफ बोली गई है या किसी अन्य सदस्य के खिलाफ बोली गई है ऐसी शब्दावली को पूरे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये और उसे रिकार्ड में न लिया जाए। इस माननीय सदन की जो गरिमा और परंपरा रही है उसके अनुसार आप इस पर अवश्य कार्रवाई करेंगे, यही आपसे अपेक्षा है।

<u>Ruling by the Hon'ble Speaker</u>

"All non-decorous words, सारे असंसदीय और अमर्यादित शब्द जो इस माननीय सदन के रिकार्ड पर हैं, चाहे वह सत्ता पक्ष की ओर से हैं, चाहे विपक्ष की तरफ से हैं, वे सदन की कार्यवाही से निकाल दिए जाएंगे।"

(01.15 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.15 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त 02.15 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जिन विषयों को लेकर इस सदन में चर्चा हुई, उसमें आपकी इंटरवेंशन के माध्यम से जो वीडियो वायरल हुई हैं, इन शब्दों को लेकर आप कोई ठोस

व्यवस्था दें। विधान सभा सचिवालय की ओर से कोई वीडियो या स्टेटमेंट बनाकर चली जाए कि उन शब्दों को डिलीट किया जा रहा है, उन सारे वाक्यों को एक्सपंज किया जा रहा है।

उक्त विषय पर माननीय अध्यक्ष ने कहा कि वह मामला उनके विचाराधीन है।

माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि तथाकथित विषय पर उन्होंने भी एक विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। कृपया करके अध्यक्ष महोदय इसको कंसीडर करने के बाद अपना फैसला सुनाएं। तथ्यात्मक और पूरी जानकारी के अनुसार आपको वह फाइल दी गई है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था

"अभी लगभग आधा घंटा पहले श्री विपिन सिंह परमार द्वारा और इसमें राकेश जम्वाल सहित और भी दो-तीन सिग्नेट्रीज हैं, इन्होंने एक विशेषाधिकर हनन का नोटिस नियम-75 में दिया है। This Secretariat will examine it and after examination, इसमें की गई कार्रवाई से आपको और सदन को अवगत करवा दिया जाएगा।"

2. कागजात सभा पटल पर :

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी:-

(i) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए (संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-I) (वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या 2) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(ii) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए (संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-II) (वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या 3) हिमाचल प्रदेश सरकार; और

(iii) हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम, 2005 के नियम 7 के अन्तर्गत प्ररूप-5.

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

"माननीय राजस्व मंत्री ने आज सुबह मुझ से आग्रह किया था कि इन्हें कहीं जाना है और इनके विभाग से संबंधित बिल के संदर्भ में ये चाहते हैं कि इस बिल को पहले टेकअप कर लिया जाए। इसलिए आज की कार्यसूची में निहित नियम-62 के विषयों को मैं अभी के लिए डैफर करके विधायी कार्य को पहले ले रहा हूं और इसके बाद अन्य विषयों को लेंगे।"

4. विधायी कार्यः

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 25) पर विचार किया जाए।

माननीय राजस्व मंत्री ने संशोधन विधेयक के ऑब्जैक्ट्स एंड रीजन्ज़ के बारे में विस्तार से सदन को अवगत करवाया।

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने उक्त संशोधन विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किए और इसका विरोध करते हुए इसे गहन विचार-विमर्श हेतु प्रवर समिति को भेजने का आग्रह किया।

माननीय मुख्य मंत्री ने उक्त संशोधन विधेयक लाने के संबंध में सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट की तथा कहा कि इस संशोधन विधेयक को सलैक्ट कमेटी को भेज दिया जाए ताकि मेम्बर्ज़ के भी इसमें सुझाव मिल जाएं।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

"माननीय सदन के नेता और विपक्षी दल से माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा के द्वारा किए गए आग्रह कि इस संशोधन बिल को विधान सभा की सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, I agree with this suggestion and the request from the Leader of the House as well as from the Opposition. Now, I would be consulting with the Hon'ble Revenue Minister and then we constitute the Select Committee which will consist Members of both the sides of this House. The Select Committee's period will be fixed. In regard to this Bill, the Committee has to complete its

meetings in a time bound manner and will come up with its final recommendations and those recommendations will be presented in the next year's Budget Session.

We are not still passing the Bill, we are just considering it. The Select Committee has now been constituted. This Committee will now look into all these affairs. So, there is no need to make any reference because everything is going to the Select Committee now. Whatever have been reported by the press that is of no use now, in view of the statement of the Hon'ble Chief Minister. If any Press has reported anything which is undesirable, they may correct their record as per the statement of the Hon'ble Chief Minister and as per the proceedings of House also."

3. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः

(1) **माननीय सदस्य श्री लोकेन्दर कुमार** ने "आनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश में बदलाव करने से उत्पन्न स्थिति बारे" सदन का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय राजस्व मंत्री (मा0 शिक्षा मंत्री द्वारा प्राधिकृत) ने चर्चा का उत्तर दिया।

(2) **माननीय सदस्य श्री आर0 एस0 बाली** ने "To call the attention of the House regarding non-regularization/ placement on contractual basis of MPW/MTWs in Jal Shakti Vibhag" बारे सदन में विषय उठाया।

माननीय उप मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय सदस्य श्री आर0 एस0 बाली ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय उप मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण का उत्तर देते हुए अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करवाई।

5. नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चाः

(1) **श्री सुख राम चौधरी, सदस्य** ने "दिनांक 27 नवम्बर, 2025 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 3535 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा की"

माननीय उप मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(2) **श्री रणधीर शर्मा, सदस्य** ने "दिनांक 03 दिसम्बर, 2025 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 3728 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा की।"

माननीय उप मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय सदस्य सतपाल सिंह सत्ती ने ऊना विधान सभा के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया तथा ऊना विधान सभा क्षेत्र के अंदर गैंगवार व अन्य घटित घटनाएं का विस्तार से ज़िक्र किया।

Ruling by the Hon'ble Speaker

"Hon'ble Member, this House has taken the cognizance of this issue."

सत्र का समापन

सत्र के समापन पर **माननीय मुख्य मंत्री** ने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि "कांगड़ा में इतिहास का यह सबसे लम्बा सत्र आयोजित किया गया है और सभी को विस्तार से अपनी बातें कहने का मौका मिला है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल को भी अपनी बात रखने का मौका मिला और अध्यक्ष महोदय ने हमसे ज्यादा समय इनको दिया है। यही लोकतंत्र की खूबी भी है। विपक्ष के नेता जब गुस्सा होते हैं तो इनको आप ही शांत करवाते हैं। निवेदन है कि सभी बातों को सुनने के बाद एक तर्क के साथ आगे जो आपके विडियो की एडिटिंग है, उसको करने के बाद ही उसे रिलीज़ किया जाए। जब अगला

सत्र आएगा तो उसमें अध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था ले कर अवश्य आएंगे।

अंत में मैं माननीय सदन के सभी सदस्यों, पत्रकार बंधुओं, पुलिस कर्मियों, सभी अधिकारियों और विधान सभा सचिवालय के सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।"

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने अपने उद्‌गार व्यक्त करते हुए कहा कि विधान सभा का यह शीतकालीन सत्र आज समापन की ओर है और वे पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय विधायकों का धन्यवाद करते हैं कि सभी ने सार्थक चर्चा के माध्यम से जनहित के मुद्दों पर अपनी बात रखी है। सरकार के तो बहुत सारे प्रिविलेजिज़ होते हैं लेकिन विपक्ष के पास इस माननीय सदन में अपनी बात रखने का प्रिविलेज अध्यक्ष महोदय के माध्यम से ही सम्भव हो पाता है। आपका उसमें सार्थक सहयोग रहा है जिसके लिए वे अपने पूरे विधायक दल की ओर से आपके बहुत आभारी हैं। हमेशा से यह परम्परा रही है कि सदन के अंदर विपक्ष को सुने बिना, विपक्ष को अवसर दिए बिना कोई भी चर्चा सार्थक नहीं हो सकती। उस दृष्टि से अच्छी चर्चा हुई है और नियमों के अनुसार हुई है। ऐसे कई अवसर आए जहां तल्खी भी हुई और उसके कारण माहौल थोड़ा गर्म भी हुआ लेकिन जब सदन समाप्त होता है तो उसको यहीं छोड़कर जाना चाहिए, साथ ले कर नहीं जाना चाहिए, यह नितांत आवश्यक है।

उन्होंने विधान सभा सचिवालय के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों सहित सरकार के सभी प्रशासनिक अधिकारियों का सत्र में सहयोग देने के लिए भी धन्यवाद किया। उन्होंने अध्यक्ष महोदय का भी विशेष रूप से सदन को संतुलित ढंग से चलाने के लिए धन्यवाद किया।

अंत में उन्होंने पत्रकार बंधुओं, मीडिया का भी बहुत-बहुत धन्यवाद किया जिन्होंने सदन की कार्यवाही को प्रदेश की जनता तक पहुंचाया है। उन्होंने मीडिया से यह अपेक्षा भी की कि वे केवल तथ्यों पर आधारित रिपोर्टिंग ही करें और यह बहुत जरूरी भी है।

माननीय अध्यक्ष के उद्‌गार

इस सत्र के दौरान दिनांक 26 नवम्बर, 2025 से 05 दिसम्बर, 2025 तक कुल 8 बैठकें आयोजित हुई, जिसकी कार्यवाही लगभग 34 घंटे तक चली। जिसमें सत्तापक्ष ने 16.30 घंटे तथा प्रतिपक्ष ने 15.30 घंटे सार्थक चर्चा की और इस तरह से सदन की उत्पादकता 85 प्रतिशत रही है जोकि अपेक्षाओं से परे है।

धर्मशाला तपोवन विधान सभा का शीतकालीन सत्र इसके लिए भी ऐतिहासिक रहा क्योंकि वर्ष 2016 के पश्चात् लगभग 8 साल बाद वर्ष की 35 बैठकों का प्रचलन है उसका भी निर्वहन किया गया। सत्र के प्रथम दिन संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर सदन के समस्त सदस्यों द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका (PREAMBLE) का प्रतिज्ञान लिया गया। सदन में पूर्व सदस्य स्वर्गीय डॉ0 बाबू राम गौतम जी को श्रंद्धाजलि अर्पित की गई और उनके परिवार के प्रति गहरी भी संवेदना प्रकट की गई।

अध्यक्ष महोदय ने सत्र के दौरान किए गए कार्यों का संक्षेप में उल्लेख किया और समस्त सदस्यों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने सदन की समय-सीमाओं और नियमों का पालन करते हुए अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रदेश के विषयों को सदन में उठाया।

अध्यक्ष महोदय ने राज्य सरकार, पुलिस विभाग, विधान सभा व जिला प्रशासन कांगड़ा के अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया, जिन्होंने दिन-रात कार्य कर इस सत्र से संबंधित कार्य को समयबद्ध तरीके से निपटाने में पूर्ण सहयोग दिया। उन्होंने पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों का विशेषतया आभार व्यक्त किया जिन्होंने आतिथ्य सत्कार में कोई कमी नहीं रखी।

अध्यक्ष महोदय ने प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने विधान सभा की कार्यवाही को प्रदेश के जन-जन तक पंहुचाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अध्यक्ष महोदय ने प्रदेशवासियों को क्रिसमस व नये वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी।

(**राष्ट्रीय गीत गाया गया।**)

04.05 बजे अपराह्न सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

* * *